प्रकरण क्र0

श्री पेशी ता0 18-6-2014

समक्ष श्रीमान अध्यक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प , इन्दौर

अपेलार्थी

विरुद्ध

सुरेश सेठ आदि ---- प्रत्यर्थी

आदेश 9 नियम 7 सी0 पी0 सी0 के अन्तर्गत आवेदन पत्र

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुपूरक आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक RSR 2031 PBR 2014

16–7–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । आवेदक की ओर से पुनर्स्थापना आवेदन पत्र में इस न्यायालय में नियत पेशी दिनांक 18–6–2014 को उपस्थित नहीं होने का कारण माननीय उच्च न्यायालय में अन्य प्रकरण में व्यस्त होना दर्शाया गया है । मूल निगरानी प्रकरण में संलग्न अभिभाषक पत्र को देखने से स्पष्ट है कि उसमें श्री [illegible] खेडकर अभिभाषक के अतिरिक्त 3 अन्य अभिभाषक भी आवेदक की ओर से नियुक्त है । अतः प्रथमतः यदि श्री विभाष खेड़कर अभिभाषक माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित प्रकरण में व्यस्त थे तब अन्य अभिभाषक इस न्यायालय में उपस्थित [illegible] श्री [illegible] अतिरिक्त आवेदक स्वयं भी इस न्यायालय में उपस्थित हो सकता था । द्वितीय अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण इस न्यायालय में प्रचलित प्रकरण में उपस्थित नहीं होना अनुपस्थिति का समाधानकारक कारण नहीं है । [illegible] विश्लेषण के [illegible] में मूल निगरानी प्रकरण में अनुपस्थिति का समाधानकारक कारण नहीं पाये जाने से यह पुनर्स्थापन आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष